

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 307]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 जून 2017—आषाढ़ 9, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30/06/2017

क्रमांक एफ ए 3-27/2017/1/पांच (54)

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 50 की उप धारा (1) तथा (3) धारा 54 की उप धारा (12) तथा धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, माल और सेवाकर परिषद की अनुशंसाओं पर, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट धाराओं के प्रयोजन के लिए, उक्त सारणी के कॉलम (3) में यथा वर्णित तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित किए गए अनुसार वार्षिक ब्याज दर नियम करती है।

#### सारणी

अनुक्रमांक	धाराएं	ब्याज की दर (प्रतिशत में)
(1)	(2)	(3)
1.	धारा 50 की उप धारा (1)	18
2.	धारा 50 की उप धारा (3)	24
3.	धारा 54 की उप धारा (12)	6
4.	धारा 56	6
5.	धारा 56 का परंतुक	9

2. यह अधिसूचना जुलाई, 2017 के प्रथम दिन से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरूण परमार, उपसचिव.

क्रमांक एफ ए 3-27/2017/1/पांच

भोपाल, दिनांक 30/06/2017

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-27/2017/1/पांच (54), दिनांक 30 जून, 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरूण परमार, उपसचिव.

## NOTIFICATION

No. F A 3-27/2017/1/FIVE(54)

Bhopal, Dated : 30/06/2017

In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 50, sub-section (12) of section 54 and section 56 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Goods and Service Tax Council, hereby, fixes the rate of interest per annum for the purpose of the sections as specified in column (2) of the Table below as mentioned in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Serial Number	Sections	Rate of interest (in per cent)
(1)	(2)	(3)
1.	sub-section (1) of section 50	18
2.	sub-section (3) of section 50	24
3.	sub-section (12) of section 54	6
4.	section 56	6
5.	proviso to section 56	9

2. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2017.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ARUN PARMAR, Dy. Secy.